संख्या-24/2022/335126/60-1-1099/20/2022

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 06 अक्टूबर, 2022**

विषयः- श्री शत्रोहन, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् अपने पत्र संख्या-2718/निदे0म0क0/स्था0/2021-22, दिनांक 05.01.2022 एवं पत्र संख्या-3133/निदे0म0क0/स्था0/2021-22, दिनांक 28.02.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जो श्री शत्रोहन, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय की चिकित्सा प्रतिपूति से संबंधित रू0 5,34,064/- का भुगतान कराये जाने के संबंध है।

2- इस संबंध में श्री शत्रोहन के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी समस्त बिल वाउचर मूल रूप प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग-6 की अधिसूचना दिनांक 27.12.2016 द्वारा निर्गत उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम-10 के आलोक में श्री शत्रोहन, सेवानिवृत्त, प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण के इलाज पर व्यय की गयी धनराशि रू0 5,34,064/- (रूपये पॉच लाख चौतीस हजार चौसठ मात्र) की सकल धनराशि से 05 प्रतिशत की कटौती करते हुये शेष धनराशि का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त (मूल रूप में)

भवदीय,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in